

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2061
11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए
सीआरजीएफटीएलआईएच के अंतर्गत लाभार्थी

†2061. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:

श्री के. गोपीनाथ:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) निम्न आय आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) के अंतर्गत राज्य-वार, विशेषकर तमिलनाडु में लाभार्थियों के नाम क्या हैं।
- (ख) सीआरजीएफटीएलआईएच के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित और वितरित की गई है;
- (ग) सीआरजीएफटीएलआईएच के अंतर्गत गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की सूची तथा कुल राशि कितनी है; और
- (घ) उक्त ट्रस्ट के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) योजना का उद्देश्य प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के लाभार्थियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को बैंकों/आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा स्वीकृत और संवितरित 20 लाख रुपये तक के किफायती आवास ऋण की गारंटी देना है, जिससे इस श्रेणी के व्यक्तियों को ऋण देने के लिए ऋणदाता संस्थाओं का विश्वास बढ़ेगा। इसका उद्देश्य एक ऐसा सहायक फ्रेमवर्क बनाकर पात्र उधारकर्ताओं, विशेष रूप

से अनौपचारिक आय स्रोतों वाले लोगों को आवास वित्त प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है, जो वित्तीय संस्थाओं को आत्मविश्वास से ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत सरकार ने सीआरजीएफटीएलआईएच के लिए 3,000 करोड़ रुपये का कॉर्पस अनुमोदित किया है। ऐसी निधि जिसका उपयोग चूक के आधार पर किए जाने वाले दावों के निपटान के लिए किया जाता हो। आज तक डिफॉल्ट पर कोई दावा नहीं किया गया है और किसी एनपीए की सूचना नहीं दी गई है। सीआरजीएफटीएलआईएच के अंतर्गत अलग से किसी राज्य-वार निधि का आवंटन नहीं किया गया है। सीजीआरएफएफटीएलआईएच योजना 15.01.2025 को शुरू की गई थी और 30.11.2025 तक 546.79 करोड़ रुपये की संचयी राशि के कुल 5,461 ऋणों की गारंटी दी गई है। दिनांक 31.10.2025 तक सीआरजीएफटीएलआईएच योजना के तहत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/एचएफसी सहित कुल 55 एमएलआई पंजीकृत किए गए हैं।

सीआरजीएफटीएलआईएच के अंतर्गत तमिलनाडु सहित देश भर में जिन ऋणों की गारंटी दी गई उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और उन ऋणों की राशि अनुलग्नक में दी गई है।

दिनांक 11-12-2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2061 के
उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

तमिलनाडु सहित देश भर में सीआरजीएफटीएलआईएच के अंतर्गत जिन ऋणों की गारंटी दी गई
उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और उन ऋणों की राशि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गारंटीकृत ऋणों की संख्या	गारंटीकृत ऋणों की राशि (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	91	10.11
2.	असम	1	0.08
3.	चंडीगढ़	35	3.51
4.	छत्तीसगढ़	81	3.03
5.	दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	1	0.12
6.	दिल्ली	123	17.78
7.	गुजरात	837	87.76
8.	हरियाणा	76	8.97
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0.1
10.	झारखंड	4	0.5
11.	कर्नाटक	219	9.18
12.	केरल	2	0.2
13.	मध्य प्रदेश	642	66.46
14.	महाराष्ट्र	1133	156.07
15.	ओडिशा	16	0.38
16.	पंजाब	274	30.23
17.	राजस्थान	295	31.67
18.	तमिलनाडु	627	24.46
19.	तेलंगाना	71	8.6
20.	उत्तर प्रदेश	587	53.16
21.	उत्तराखंड	124	7.28
22.	पश्चिम बंगाल	221	27.15
कुल योग		5461	546.79